न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–806 सन्– 2026

UPAD010072442026

उर्मिला उम्र 54 वर्ष पत्नी स्व. जगदीश, निवासिनी– ग्राम जगलामऊ, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

----------प्रार्थिनी

बनाम

1. राममूरत यादव उर्फ पुत्तीलाल पुत्र माताबदल यादव उम्र 60 वर्ष
2. अज्ञात पुत्र राममूरत यादव उर्फ पुत्तीलाल
3. अज्ञात पुत्र राममूरत यादव उर्फ पुत्तीलाल

निवासीगण– जहीनाबाद, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।

--------विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.

थाना–नवाबगंज, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थिनी उर्मिला द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति पासी की सदस्या है तथा भूमिधरी भूमि नं. 2513, 2554, 2507, 2518 की दर्ज काश्तकार है। प्रार्थिनी विधवा होने के कारण वह स्वयं कृषि कार्य के लिए सक्षम नहीं थी एवं मजदूरों के अभाव में उसने अपनी उपरोक्त भूमि को बंटाई पर राममूरत यादव उर्फ पुत्तीलाल को 5 वर्ष पूर्व मु.– 13,000/– रुपये वार्षिक पर बँटाई पर दिया था परन्तु अब उसको अपने खेती कराने हेतु स्थाई रूप से मजदूर मिल गये हैं जिससे उसने विपक्षी रामसूरत से अपना खेत वापस मांगा और कहा कि मुझे अपनी कीमती जमीन बँटाई पर नहीं देनी है और आगे बँटाई की सभी शर्तें समाप्त कर दिया है। दिनांक 29.11.2025 को समय 09.00 बजे दिन जब वह अपने खेत पर गयी और रामसूरत यादव को खेत पर बुलाकर कहा कि मेरा खेत फसल काटने के बाद खाली कर देना, अब मैं खुद अपनी खेती कराऊंगी तब विपक्षीगण रामसूरत व उसके परिवार के दो लड़कों ने उसके खेत छोड़ने से मना कर दिया और सभी ने एकराय होकर उसको भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए कहा कि पासिन मादरचोद खेत अब कभी नहीं छोड़ेंगे, हमने खेत को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया है जब तक हम अपनी मेहनत का पूरा पैसा वसूलेंगे नहीं तब तक तुम्हारा खेत खाली नहीं करेंगे। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 30.11.2025 को थानाध्यक्ष नवाबगंज को प्रार्थनापत्र दिया तब थानाध्यक्ष ने दिनांक 01.12.2025 को दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया था। थानाध्यक्ष के समक्ष विपक्षी रामसूरत ने समझौता किया कि यदि वह मु.– 30,000/– विपक्षी रामसूरत को अदा कर दे तो वह उसके खेत को छोड़ देगा तथा उसने विपक्षी रामसूरत यादव को मु.– 30,000 रुपये जरिये यू.पी.आई. अदा कर दिया। दिनांक 16.06.2026 को समय 09.00 बजे जब वह मजदूरों के साथ अपने खेत पर मेड़ बंधवाने गयी थी तभी विपक्षीगण रामसूरत यादव व उसके परिवार के दो अन्य लड़के लाठी–डंडा लेकर आये और कहा मेड़ नहीं बांधने देंगे, थाने में डरकर मु.– 30,000/– में समझौता कर लिया था, मु.– 20,000/– रुपया और दोगी तभी कब्जा करने देंगे। विपक्षीगण ने उसे मां–बहन की गालियां देते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और कहा कि हम यादव हैं हमसे टकराओगी तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में उसी दिन थाना नवाबगंज जाकर प्रार्थनापत्र दिया एवं श्रीमान् पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी, प्रयागराज को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थिनी ने दिनांक 17.06.2026 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज व अन्य उच्चाधिकारियों को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थनापत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, समझौता पत्र की छायाप्रति, थानाध्यक्ष नवाबगंज को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित

30.11.2025 तथा श्रीमान् पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.06.2026 मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं को अनुसूचित जाति पासी की सदस्या होना बताते हुए विपक्षीगण द्वारा बंटाई पर लिये गये खेत को वापस किये जाने को लेकर दिनांक 29.11.2025 को समय 09.00 बजे दिन उसको भद्दी–भद्दी गालियां दिये जाने, पासिन जैसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने तथा प्रार्थिनी द्वारा उससे समझौते के रूप में मु.–30,000/– रुपये का भुगतान किये जाने के पश्चात् भी जब वह दिनांक 16.06.2026 को समय 09.00 बजे मजदूरों के साथ अपने खेत पर मेड़ बंधवाने गयी थी तब उसे मां–बहन की गालियां देते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने और जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्नलिखित न्याय निर्णयन में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं./173(4)बी.एन.एस.एस. के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

(i) *सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2008 सी.आर.एल. पृष्ठ संख्या–475* में यह अभिनिर्धारित किया है कि "प्रत्येक धारा 156(3) दं. प्र. सं. के प्रार्थनापत्र पर मजिस्ट्रेट द्वारा सदैव पुलिस को मामला दर्ज कर विधिवत विवेचना करने का निर्देश देना आवश्यक नहीं है। मजिस्ट्रेट को रुटीन में धारा 156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थनापत्रों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट अपने स्वविवेकानुसार धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थनापत्रों को परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जांच करने के लिए स्वतंत्र है।"

(ii) *एलिक पदमसी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ए.आई.आर. 2007 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या–684* में यह अभिनिर्धारित किया है कि "यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो पीड़ित व्यक्ति धारा 210 दं.प्र.सं. सपठित धारा 223 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रावधानित उपबन्धों को अपना कर प्रकरण में सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है और मजिस्ट्रेट भी यदि चाहे तो धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर प्रकरण में प्रसंज्ञान ले सकता है।"

(iii) *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद)* में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी को घटना का दिनांक, समय, स्थान तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

(i) एतद्द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 05.11.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थिनी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 04, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.04 17:08:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court